



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(पंचावि/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/3779 जयपुर, दिनांक :- 24.8.18

आदेश

श्री अशोक कुमार ढाका, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, तारानगर (चूरु) का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति, चूरु (चूरु) में किया जाता है ।

श्री ढाका, कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे । इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार जांगिड)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक नि.सहा./मंत्री/ग्राविपरा/नि/18/स्पे.08 दिनांक 24.8.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, चूरु ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरु ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तारानगर / चूरु (चूरु) ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री अशोक कुमार ढाका, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, तारानगर (चूरु) को पालनार्थ ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त